राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1542 / 2023

डॉ. विजय मित्तल –अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. डॉ. प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जॉन भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,

निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को वर्तमान पद से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान पद पर, जहां अपीलार्थी पूर्व में कार्यरत था, उस पद से निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ. प्रशांत कुमार को वेतन दिया जा रहा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पद पर स्थानांतरण सक्षम अधिकारी के आदेशों से हुआ था, जहां पर उन्होंने कार्यग्रहण किया था। परंतु वर्तमान में अपीलार्थी का उक्त पद से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है।
2. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी डॉ. प्रशांत कुमार के स्थान पर अपीलार्थी को स्थानांतरित कर पदस्थापित किया गया था एवं इस आदेश को अपील संख्या 250 / 2023 में चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अपीलार्थी का स्थानांतरण स्थगित रख दिया था। जिसके आधार पर अपीलार्थी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन भरतपुर में ही कार्यरत है और वर्तमान स्थान पर निजी प्रत्यर्थी स्वयं के पद से ही वेतन उठा रहा है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण उक्त पद पर हुआ था, जहां उन्होंने कार्यग्रहण किया था।

4. प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये है कि उन्हें वेतन प्रत्यर्थी विभाग के किसी भी अन्य रिक्त पद से वेतन आहरित कर उन्हें भुगतान करें। इस आदेश की पालना 1 सप्ताह में की जावें। उक्त आदेश के साथ अपील संख्या 1542/2023 का निस्तारण किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण पर वर्तमान पद से अपीलार्थी का वेतन आहरण किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)